जिला योजना

संख्या–2890/बयालिस–2010–31–निर्माण/2008

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2010

विषयः–जनपद–फतेहपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट आवासीय छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–121/बयालिस–2008–31 निर्माण 2008 दिनांक 27 फरवरी, 2008 एवं शासनादेश संख्या–1920/बयालिस–2009–31 निर्माण 2008 दिनांक 14 जुलाई, 2009 एवं आपके पत्र संख्या–जी–67/नि0 फतेहपुर क्रीडा छात्रावास /2008–09 दिनांक 29–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद–फतेहपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट आवासीय छात्रावास के निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप मेंरू0 26,50,000/= (रू0 छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है ।

2–उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 26,50,000/= (रू0 छब्बीस लाख पचास हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है। प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, खेल द्वारा एक माह में स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

3–उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किया जाय और न ही कोई वित्तीय वचनबद्धता की जाय जब तक कि पर्याप्त भूमि की व्यवस्था न कर ली गयी हो तथा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों (डी0पी0आर0)पर दिनांक 2 मार्च, 2006 एवं 6 जून, 2006 के शासनादेश के अनुरूप सक्षम अधिकारी की प्राविधिक/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है। इस संबंध में समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश दिनांक 27 फरवरी, 2009 के अनुसार यथावत रहेगी।

.....2/–

4–उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–[illegible] लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परि[illegible] आयोजनागत–03 खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–25 जिला योजना के [illegible] कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5–उक्त स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप–संख्या–वी–1–961/ दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

20.9.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2890(1)/बयालिस–2009–तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– जिलाधिकारी/कीडाधिकारी, फतेहपुर ।
5– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड ,19 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8– नियोजन अनुभाग–4
9– क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी, इलाहाबाद ।
10– मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0शासन ।
11– निजी सचिव मा0 मंत्रीजी/प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0शासन।
12– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।